

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN
RUPEES

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रारूप 26

(नियम 4क देखिए)

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

32 खानपुर (विधानसभा क्षेत्र) (निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग

आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, राजेंद्र पाव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री अहमचन्द पाव
आयु 42 वर्ष, जो 152 खानपुर थक कर्मचारी विभाग
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ① 5/2001 ② 26/03

(ii) पुलिस थाना (थाने) ① ज्योराहा ② ज्योराहा जिला (जिले) हरिया राज्य उत्तराखण्ड

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का

संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ① स.व.15 राजेंद्र पाव थक 25 इन्टेल

शक ज्योराहा ② स.व.15 पुलिस ठेकेदार ज्योराहा थक 3024/2003 थक ज्योराहा थक
(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई ① P.P.C/A 25 इन्टेल
② 10/03/2004

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे 01/12/01 (2).....

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... नहीं.....

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :- नहीं.....

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... नहीं.....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... नहीं.....

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... नहीं..... जिला (जिले) राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

स्थान नहीं.....

तारीख 8/1/12

Smt. Satyavati Verma
Advocate & Notary Public
Roorkee (Hardwar)
Regn. No. 2012/91
Civil Court Roorkee (Hardwar)

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

..... स्थान पर आज तारीख 8/1/12 को सत्यापित किया।

Attested

Smt. Satyavati Verma
Advocate & Notary Public
Roorkee (Hardwar)

टिप्पणी: इस प्रारूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

Smt. Jemini
Advocate
Regn. No. 2012/91
Civil Court Roorkee (Hardwar)

IDENTIFIED BY

Smt. Jemini
Advocate
Regn. No. 2012/91
Civil Court Roorkee (Hardwar)